# नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

drishtiias.com/hindi/printpdf/national-electronic-fund-transfer

## प्रीलिम्स के लिये:

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

## मेन्स के लिये:

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तथा इसके लाभ

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer-NEFT) को चौबीस घंटे (24 X 7) संचालन के लिये उपलब्ध कर दिया है।

## मुख्य बिंदु:

- RBI ने बैंकों को NEFT प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन धन हस्तांतरण के लिये बचत खाता धारकों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है।
- अगस्त, 2019 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान NEFT के बारे में यह घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2019 से NEFT की सुविधा सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

## NEFT से लाभ:

- इस कदम के माध्यम से RBI भुगतान प्रणाली वाले देशों के उस क्लब में शामिल हो गया है जो चौबीसों घंटे किसी भी मूल्य के धन हस्तांतरण और निपटान में सक्षम हैं।
- ग्राहक अब दिन के किसी भी समय NEFT के माध्यम से बिना शुल्क के धन स्थानांतरित कर सकते हैं, जबकि बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धन स्थानांतरण के लिये शुल्क लिया जाता है।

## (National Electronic Fund Transfer):

- वर्ष 2005 में शुरू की गई NEFT प्रणाली की हाल के वर्षों लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ इसके ग्राहकों की संख्या में भी तेज़ी देखी गई है।

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी।
- इस योजना के तहत कोई व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट दूसरी बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट के बैंक खाते में तथा देश में स्थित किसी अन्य बैंक शाखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं।

## स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस